न्यायालय जिला कलक्टर अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/06/2023	03-02-2023	24-03-2023

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत निर्णय विरूद्व उपखण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर निर्णय दिनांक 28.02.2022

उपस्थितः-

01- श्री दीपक मीना —राजकीय अभिभाषक

-::निर्णय::-

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच /3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के अनुसरण में सुओमोटो प्रकरण का संज्ञान राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत लिया गया। आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/829 दिनांक **28.02.2022** द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 1146/2649 रकबा 0.12 है0 किस्म चाही उत्तम, जाव उत्तम संपूर्ण वाके ग्राम बीघोता, तहसील राजगढ, जिला अलवर की भूमि का आवंटी पुरणमल बैरवा पुत्र नोरता, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बीघोता, तहसील राजगढ, जिला अलवर को आवंटन किया गया है, के विरूद्व प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने सुओमोटो प्रकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22 /829 दिनांक **28.02.2022** के द्वारा नियम विरूद्व प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणो की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश कमांक प0 12-3/राजस्व/2022/8962-63 दिनांक

01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ़/टहला के प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम, 1970 के तहत आंवटन/नियमन मे अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट में आवंटन अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की है। प्रकरण में वर्णित आराजी अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक (T) 3131 दिनांक 03.02.2023 अनुसार ग्राम बीघोता कमाण्ड क्षेत्र में आती है। प्रकरण में आवंटन नियमों की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर अध्यक्ष, आवंटन सलाहाकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी विवादित आंवटन आदेश दिनांक 28.02.2022 को निरस्त फरमावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया, तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जॉच रिपोर्ट आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडो की पालना नहीं की गई है। आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका (प्रारूप–4) में संधारित है या नहीं, से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उद्घोषणा जारी होने के पश्चात तामील/चस्पानगी के संबंध मे तहसीलदार की पालना रिपोर्ट संलग्न नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक सूचना की तामील कब हुई, इस संबंध में पत्रावली में तारीख का अंकन नही है, ना ही तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित है। पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट संलग्न नही है, एवं वन विभाग, खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नहीं है, साथ ही आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया है, और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर भी नहीं है। .पत्रावली में साबिक व हाल राजस्व रिकार्ड संलग्न नहीं है। आवेदन पत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्ति दिनांक व समय का अंकन सहित मार्किंग नहीं है। आवंटी पूर्व में अतिकमी था, आवंटी के स्वयं के नाम एवं पत्नी के नाम कृषि भूमि मुताबिक रिपोर्ट 2.16 है0 भूमि पूर्व में है। प्रकरण में वर्णित आराजी अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक (T) 3131 दिनांक 03.02.2023 अनुसार ग्राम बीघोता कमाण्ड क्षेत्र में आती है। प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फोलोअप कैम्पों मे नहीं किया जाना बतलाया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन

01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ़/टहला के प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम, 1970 के तहत आंवटन/नियमन मे अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट में आवंटन अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की है। प्रकरण में वर्णित आराजी अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक (T) 3131 दिनांक 03.02.2023 अनुसार ग्राम बीघोता कमाण्ड क्षेत्र में आती है। प्रकरण में आवंटन नियमों की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर अध्यक्ष, आवंटन सलाहाकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी विवादित आंवटन आदेश दिनांक 28.02.2022 को निरस्त फरमावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया, तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जॉच रिपोर्ट आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडो की पालना नहीं की गई है। आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका (प्रारूप–4) में संधारित है या नहीं, से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उद्घोषणा जारी होने के पश्चात तामील/चस्पानगी के संबंध मे तहसीलदार की पालना रिपोर्ट संलग्न नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक सूचना की तामील कब हुई, इस संबंध में पत्रावली में तारीख का अंकन नही है, ना ही तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित है। पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट संलग्न नही है, एवं वन विभाग, खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नहीं है, साथ ही आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया है, और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर भी नहीं है। .पत्रावली में साविक व हाल राजस्व रिकार्ड संलग्न नहीं है। आवेदन पत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्ति दिनांक व समय का अंकन सहित मार्किंग नहीं है। आवंटी पूर्व में अतिकमी था, आवंटी के स्वयं के नाम एवं पत्नी के नाम कृषि भूमि मुताबिक रिपोर्ट 2.16 है0 भूमि पूर्व में है। प्रकरण में वर्णित आराजी अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक (T) 3131 दिनांक 03.02.2023 अनुसार ग्राम बीघोता कमाण्ड क्षेत्र में आती है। प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फोलोअप कैम्पों मे नहीं किया जाना वतलाया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन

न्यायालय जिला ... अलवर (राज०)